


Email: [cnoharda@mpurban.gov.in](mailto:cnoharda@mpurban.gov.in)

<https://nagarपालिकाहरदा.org>

क्रमांक 2480 / लोकनिर्माण / 2026



निम्न कार्यो हेतु निविदा

// आनलाईन निविदा //

conn. 07577222238

Toll free No 18002331353

हरदा दिनांक 14/5/26

आमंत्रित की गई है। निविदा प्रपत्र वेबसाईट पर दिनांक 14/5/26 से 12/6/26 तक क्रय की जा सकती है। बीड निविदा सूचना आमंत्रण एवं अन्य जानकारी उक्त वेबसाईट पर देखी जा सकती है। निविदाओं में वित्तीय प्रस्ताव कार्य अनुबंध सेवा पर लागू जी.एस.टी. को छोड़कर बुलाए जा रहे हैं। देयक प्रस्तुती के समय कार्य अनुबंध सेवा पर लागू जी. एस.टी. का भुगतान पृथक से अनुबंधकर्ता को किया जावेगा।

क.	एन आई टी नं.	टेण्डर नं.	कार्य का नाम	मद	प्रभावशील एस.ओ.आर का विवरण	अनुमानित राशि रूपये		अमानत राशि रूपये	निविदा फार्म मूल्य रूपये	कार्य अवधि
1	2	3	4	5	6	PAC-7	GST-8	8	9	10
1	4940	04/05/26	वार्ड क्रं. 32 पैरासिटी कॉलोनी में हरनारायण यादव जी के मकान से खले जी के मकान तक सी.सी.रोड़ निर्माण कार्य।	न.पा. निधि	म.प्र.न.प्र, एवं विकास विभाग आई. एस.एस.आर. दि.08.11. 2025 से प्रभावशील	2094636	377034	15710	5000	2 माह
2	4941	04/05/26	वार्ड क्रं. 32 में इंदौर रोड़ से नागबाबू के मकान तक सी.सी.रोड़ निर्माण कार्य।			1056976	190255	7927	2000	2 माह
3	4942	04/05/26	वार्ड क्रं. 32 पैरासिटी कॉलोनी में बिल्लौर जी के मकान से हनुमान मंदिर तक सी.सी.रोड़ निर्माण कार्य।			2988957	538012	22417	5000	2 माह
4	4943	04/05/26	वार्ड क्रं. 32 सुदामा नगर कॉलोनी में जगदीश गौर के मकान से सत्यनारायण झिंझोरे के मकान तक सी.सी.रोड़ निर्माण कार्य।			1541955	277551	11565	2000	2 माह
5	4944	04/05/26	वार्ड क्रमांक 32 कुंजबिहार कॉलोनी में बल्लू जी के मकान से जगदीश धार्मिक से राधेश्याम विश्वकर्मा से श्री यादव जी से धार्मिक के मकान तक सी.सी.रोड़ निर्माण कार्य।			1982569	356862	14870	2000	2 माह
6	4945	04/05/26	वार्ड क्रं. 25 में एस.एस.जी. बी. स्कूल के सामने गली नम्बर 01 में सी.सी.रोड़ निर्माण कार्य।			1165792	209842	8743	2000	2 माह

क्रमांक/यां.प्र./तक.स्वी./रोड निर्माण/2026/ ७९  
प्रति,

नर्मदापुरम्, दिनांक - 24/3/26

मुख्य नगर पालिका अधिकारी,  
नगर पालिका हरदा,  
जिला - हरदा।

विषय:- वार्ड क्र. 25 में एस.एस.जी.बी. स्कूल के सामने गली नम्बर 01 में सी.सी.रोड निर्माण कार्य की तकनीकी स्वीकृति।  
संदर्भ:- Project Approval. PA-0000728109 Project No. PW1-EN2-0318-25-017.

---//---

विषयान्तर्गत, प्रोजेक्ट अप्रूवल के द्वारा वार्ड क्र. 25 में एस.एस.जी.बी. स्कूल के सामने गली नम्बर 01 में सी.सी.रोड निर्माण कार्य प्राक्कलन का परीक्षण किया गया। निविदा लागत की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त करने के उपरांत निर्माण कार्य किया जावे। निर्माण कार्य की क्रस्ट व पेवमेन्ट डिजाईन शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज/पॉलीटेक्निक कॉलेज से कराकर तदनुसार कार्य कराया जावे। निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सम्बंधित विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करें। परीक्षण उपरान्त MP Municipalities (Accounts & Finance) नियम 2018 के नियम 238 के अनुसार तकनीकी स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान की जाती है-

क्र	कार्य का नाम	मद	प्रभावशील SOR का विवरण	राशि (लाख में)
1	वार्ड क्र. 25 में एस.एस.जी.बी. स्कूल के सामने गली नम्बर 01 में सी.सी.रोड निर्माण कार्य।	न.पा.निधि/ अनुदान	म.प्र.न.प्र. एवं विकास विभाग, आई.एस.एस.आर. दिनांक 08.11.2025 से प्रभावशील	11,65,792.00
			जी.एस.टी. 18%	2,09,842.00
			योग	13,75,634.00

शर्तें


1. मध्य प्रदेश नगर पालिका (लेखा एवं वित्त) नियम के प्रावधान अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।
2. डामरीकरण के कार्य में लगने वाली सामग्री (मिक्स मटेरियल) की टेस्टिंग मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से कराने के साथ मिक्स मटेरियल के वजन की धर्मकांटे की रमीद ली जावे अथवा सड़क के लेवल लिये जावे। प्रत्येक रनिंग देखक के साथ अधिकृत रिफायररी के डामर के मूल बिल, रमीद अनिवार्य रूप से लिये जावे।
3. सी.सी.रोड निर्माण कार्य करने के पूर्व आई.आर.सी. कोड अनुसार क्रस्ट/पेवमेंट डिजाईन तथा मिक्स डिजाईन का परीक्षण शासकीय/मान्यता प्राप्त पालिटेक्निक/इंजीनियरिंग कालेज से कराया जाकर उसका अनुमोदन इस कार्यालय में कराना सुनिश्चित करें। अनुमोदित डिजाईन अनुसार कार्य कराए जाने पर कार्य की लागत में परिवर्तन की स्वीकृति प्राप्त की जावे। उक्त कार्य करवाने का दायित्व निकाय के मुख्य नगर पालिका अधिकारी का रहेगा।
4. डब्ल्यू.वी.एम. (मेटल रोड) निर्माण के पूर्व मटेरियल का कलेक्शन इंद्राज माप पुस्तिका में कराना सुनिश्चित करें एवं मटेरियल की टेस्टिंग शासकीय इंजीनियरिंग/पालिटेक्निक कालेज या अन्य शासकीय संस्था में कराना सुनिश्चित करें।
5. तथ्यों को छुपाकर निजी/अवैध कालोनी में निर्माण करने पर प्राप्त तकनीकी स्वीकृति स्वयं ही निरस्त मानी जावेगी, जिमके लिए मुख्य नगर पालिका अधिकारी पूर्णतः जबाबदार रहेंगे।
6. मध्य प्रदेश नगरपालिका (लेखा एवं वित्त) नियम 2018 के अनुरूप मक्षम स्वीकृति प्राप्त करना, बयाना जमा, निष्पादन प्रतिभूति सुरक्षा जमा तथा निविदा प्रक्रिया आदि की कार्यवाही करना सुनिश्चित करे।
7. निर्माण कार्य स्वयं के अधिपत्य की भूमि में ही किया जावे, अन्य विभाग की भूमि होने पर कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उसकी अनापत्ति अथवा हस्तारण की कार्यवाही की जावे। निर्माण के दौरान खुदाई में प्राप्त सामग्री का अधिकतम उपयोग किया जावे एवं स्थल पर वास्तविक रूप से सम्पन्न कार्यों का ही भुगतान किया जावे।
8. भूमि विवाद की स्थिति में अथवा शासकीय विभाग द्वारा आपत्ती ली जाने पर प्राप्त तकनीकी स्वीकृति स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी।
9. बड़ी परियोजना, एकमुश्त प्रोजेक्ट, ममान स्वरूप के कार्य को विभाजित कर, पृथक-पृथक ली गई तकनीकी स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जावेगी तथा इस तरह के कार्य को प्रस्तावित करने के लिए मुख्य नगरपालिका अधिकारी जिम्मेदार रहेंगे।
10. निर्माण कार्य के दौरान सी.पी.डब्ल्यू.डी. स्पेसिफिकेशन एवं यू.ए.डी.डी. स्पेसिफिकेशन का पालन सुनिश्चित किया जावे।
11. समस्त प्रकार के रोड निर्माण में कॉमन यूटीलिटी डक्ट का प्रावधान अनिवार्य रूप से किया जावे।
12. उक्त तकनीकी स्वीकृति मूल कार्य के लिए प्रदाय की जा रही है, रिवाईस्ट/सप्लीमेन्ट्री कार्यों के लिए नहीं। तथ्यों को छुपाने पर प्राप्त तकनीकी स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
13. म.प्र. शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्र. F-6-18/10/18-3/7814 भोपाल दिनांक 17 जून 2016 के अनुसार राशि रु. 1.00 लाख अथवा उसमें अधिक के कराये जाने वाले कार्यों के लिये ई-टेंडरिंग व्यवस्था के माध्यम में आहुत की जाना सुनिश्चित करें।
14. कार्य के प्राक्कलन के आयटम में परिवर्तन विना मक्षम अधिकारी के किये जाने पर परिवर्तनकर्ता निकाय तकनीकी अधिकारी/प्रशासकीय अधिकारी पर दायित्व निर्धारण होगा। निर्माण कार्य के दौरान किसी पूरक कार्य/परिवर्तन की आवश्यकता हो, तो लिखित पूर्व सूचना म0प्र0न0पा0ले0नि0 1961 नियम के प्रावधानिक प्रारूप में इस कार्यालय को देना होगी। अन्यथा पुनरीक्षित प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति जारी की जाना संभव नहीं होगा।
15. निःशुल्क जनों के लिए बाधा रहित वातावरण उपलब्ध कराया जाए। पैदल यात्रियों की सुरक्षा एवं सुरक्षित यातायात हेतु रोड सेफ्टी फीचर्स जैसे रोड साइनेज, टर्निंग प्वाइन्ट आदि लगाये जावे।
16. नगर तथा ग्रामीण नियोजन विभाग के नियमानुसार आवश्यक स्थल अनुमोदन/अनापत्ति प्राप्त की जावे। नजूल एवं अन्य विभागों से आवश्यक एन.ओ.सी./सहमति भी प्राप्त की जावे।

**संज्ञानीय कार्यालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास,  
यांत्रिकी प्रकोष्ठ, भोपाल/नर्मदापुरम् संभाग**

Harshvardhan Complex, Mata Mandir, Chouraha,  
Bhopal (MP)- 462003  
Email :- eenarmadapuram@mpurban.gov.in  
Website :- www.mmarshan.gov.in

17. निम्नलिखित कार्य की मात्रा प्रति म. 25.00 मात्र में अधिक होने पर मात्र पर इकोनॉमिटी की आधार पर, निर्माता एजेंसी से कार्ड्रिं जकार टेन्टेज मटेरियल की उपयोग में मात्रा बढ़े।
18. निम्नलिखित सूचना में प्रदान किया जावे कि विविधाकार को ई.सी.ए. एवं सेक्टर विभाग का परीक्षण प्रमाण पत्र देना होगा। Cost Escalation Clause लागू नहीं होगा।
19. उपरोक्त कार्य की पूर्ति की जिम्मेदारी विभाग के मुख्य नगर यांत्रिकी अधिकारी, नगर पालिका/नगर परिषद की होगी।
20. निर्माण के दौरान सी.सी.डब्ल्यू.डी. सेडिमेंटेशन एवं ड्रिपिंग की सी.सी.डब्ल्यू.डी. सेडिमेंटेशन का परामर्श सुनिश्चित किया जावे निर्माण कार्य के दौरान निर्माण कार्य में प्रमुख निर्माण मजदूर, लॉकर और का आसकीय प्रयोगवाला परीक्षण निर्धारित आवृत्ति अनुसार कराया जावे। साथ-साथ उक्त संबंध में समय-समय पर वरिष्ठ कार्यालय से विद्ये एवं निर्देशों का पता लेना जावे एवं संशुद्ध रिपोर्ट के संतुष्टीपूर्ण परिणाम प्राप्त होने पर ही का टेस्ट के का प्रस्ताव किया जावे। कार्य के का टेस्ट, प्रस्ताव के पूर्व उपयोग की गई समस्त सामग्री एवं कर्मी के टेस्ट रिपोर्ट आवश्यक रूप से प्राप्त की जावे।
21. MF Municipalities (Accounts & Finance) नियम 2018 के नियम 237 के प्रवधान अनुसार समस्त प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त की जावे।
22. MF Municipalities (Accounts & Finance) नियम 2018 के नियम 217 के अनुसार अग्रेस्ट बनी एवं प्रतिभूति पत्रि कार्य की अनुमानित लागत का सार्वजनिक या पाल के अनुमानित मूल्य को पता कराई जावे।
23. MF Municipalities (Accounts & Finance) नियम 2018 के नियम 91, 92 एवं 93 के प्रवधानों के अनुसार निम्नलिखित आम्बन्धित की जावेगी।
24. कांक्रिट एन-20/30/40 कांक्रिट कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कांक्रिट हाई होने के पहले रोड की मेन्टरलाईन के परपेंडिकुलर दोनों तरफ ड्रुमिंग की जावे।
25. लगभग 36 डिग्री सेन्टीग्रेड में अधिक होने की स्थिति में सेन्टेड कांक्रिट का कार्य नहीं कराया जावे।
26. मौसम की स्थिति अनुसार यदि किसी प्रकार का परिवर्तन आवश्यक प्रतीत होता है तो निर्माण के पूर्व विचिन्नुसार समस्त स्वीकृति प्राप्त की जावे एवं पता पर वार्षिक रूप से नये कार्य का ही प्रस्ताव किया जावे।
27. निर्माण कार्य की समस्त प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही निविदा आन्त्रण की कार्यवाही की जावे।
28. निर्माण कार्य निर्माता/अधिकांकी में नहीं किया जावेगा, यदि कार्य समाप्त किया जाता है, तो इसका समपूर्ण उत्तरदायित्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी का होगा एवं ही नवी तकनीकी स्वीकृति स्वतः निरस्त माने जावेगी।
29. कार्य शुरू होने से/विभाजित होने की स्थिति में इसका दायित्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी का होगा तथा उक्त स्थिति में प्रदाय की गई तकनीकी स्वीकृति स्वतः निरस्त माने जावेगी।
30. कांक्रिट रोड का निष्का एवं कांक्रिट डिजाईन आसकीय इंजीनियरिंग कोडिज से कराई जाकर तत्नुसार निर्माण कार्य स्वतः पर कराया जावे एवं यदि कांक्रिट डिजाईन एवं निष्का डिजाईन में कार्य का लागत में बढोत्तरा होती है, तो बड़ी हुई लागत की पुनरीक्षा तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने का दायित्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी का होगा।
31. निर्माण कार्य स्वतः के स्वामित्व/अधिकांकी की भूमि में किया जावे, निम्नलिखित भूमि एवं अधिकांकी में निर्माण कार्य किये जाने अथवा किये जाने के दशा में जारी तकनीकी स्वीकृति स्वतः निरस्त माने जावेगी। अन्य किसी विभाग की भूमि होने पर संबंधित विभाग की एन.ओ.सी. अथवा भूमि स्वतन्त्रतरण करवाये जाने के पश्चात प्रस्तावित कार्य कराया जावे। कार्य का पता नहीं करने की दशा में समस्त उत्तरदायित्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी का होगा। स्वतः ही निरस्त माने जावेगी।
32. निष्का द्वारा पूर्ण में कराये गये कार्य का यदि अंतिम मूल्यांकन किये बिना नवीन कार्य किये जाने की दशा में किसी भी प्रकार की वित्तीय इति होने की दशा में समस्त उत्तरदायित्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी का होगा।
33. सी.सी. रोड निर्माण के दौरान Expansion, Contraction एवं Longitudinal Joints का प्रवधान अनिवार्य रूप से स्पेसिफिकेशन अनुसार किया जाकर Dowel एवं Tie Bar Reinforcement दिए जावे।
34. निष्का द्वारा पूर्ण में कराये गये कार्य का अंतिम मूल्यांकन करवाये दिना नवीन कार्य किये जाने की दशा में अथवा निर्धारित डिजाईन औसत अथवा पूर्ण हुए दिना यदि पुनः नवीन/निष्का कार्य के काय में कार्य किये जाने पर किसी भी प्रकार की वित्तीय इति होने पर समस्त उत्तरदायित्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी का होगा।
35. निविदा आन्त्रण के पूर्व समस्त प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त की जाना अनिवार्य होगा। अन्यथा प्रदाय की गई तकनीकी स्वीकृति निरस्त माने जावेगी।
36. निविदा आम्बन्धन पूर्व NON SOR ITEM का अनुमोदन विस्तृत Rate Analysis प्रस्तुत कर संभागीय कार्यालय से प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करे।
37. If paver with electronic sensor, vibratory roller are not used at site and laying, compaction is done by any other method (The acceptance criteria regarding level, thickness, surface regularity, texture, strength of concrete and all other quality control measure shall be same as in case of machine laid work) Reductions in rates for the above is 25 per UADD ISSR 08 11 2025

संलग्न- प्रकल्पन।

  
**कार्यपालन यंत्री**  
 नगरीय प्रशासन एवं विकास  
 नर्मदापुरम् संभाग, नर्मदापुरम्

# Project Estimate

## Project Details

Estimation Number: ES-0000045246

ULB: 0318 (Harda Nagar Palika)

Department: Public Works

Project No.:

Work: W-25 SSSB School Ke Samne Gall Number 01 Me CC Road Nirman

Demand ID: DM-0000036132

PAC: 1165792.0

Gross: 1375634.56

## Activity / SOR / NON SOR and WBS Details

WBS NO	SOR ITEM	Description	Cou nts	Nbs	Len gth	Brea dth	Dept h	Volu me	Area	Wei ght	Quant ity	Unit	Price/U nit	Amount Before GST	GST %	Total Amount	Remarks
1	NI-8.19	Road Markers/ Road Studs with Lense Reflector	30.0								30.0	EA	315.0	9,450.00	18.0	11,151.00	
1	NI-3.3	3.3 Excavation for roadwork in soil with hydraulic excavator including cutting and loading in tippers, trimming bot		1.0	150.0	4.3	0.3	193.5			193.5	M3	122.0	23,607.00	18.0	27,856.26	
1	NVI-4.1.1.1	Grading I		1.0	150.0	4.3	0.1	64.5			64.5	M3	1059.0	68,305.50	18.0	80,600.49	
1	NVI-6.3	Providing and Laying Cement Concrete Grade M-10 with 40 mm graded crushed stone aggregate,		1.0	150.0	4.3	0.1	64.5			64.5	M3	4598.0	296,571.00	18.0	349,953.78	
1	NVI-6.2.1	Dowel jointed, Plain Cement Concrete Pavement		1.0	150.0	4.3	0.2	129.0			129.0	M3	5916.0	763,164.00	18.0	900,533.52	
1	NVI-6.2.3	Dowel jointed, Plain Cement Concrete Pavement		-1.0	150.0	4.3	0.2	129.0			-129.0	M3	301.0	-38,829.00	18.0	-45,818.22	
1	NVI-6.2.4.1	Mild Steel dowel bars confirming to IS 432, grade I		0.099							0.1	MT	57200.0	5,720.00	18.0	6,749.60	
1	NVI-6.2.4.2	HYSD tie bars of Fe 500 grade confirming to IS 1786		0.099							0.1	MT	63800.0	6,380.00	18.0	7,528.40	
1	NVI-8.6.1.4	60 cm equilateral triangle	2.0								2.0	EA	3393.0	6,786.00	18.0	8,007.48	
1	NVI-8.18	Road Marking with Hot Applied Thermoplastic Compound with Retro-Reflectorizing Glass Beads		2.5	150.0	0.15			22.5		56.25	M2	438.0	24,637.50	18.0	29,072.25	

## WBS Summary

WBS NO	WBS Text	Amount
1	W-25 SSSB School Ke Samne Gall Number 01 Me CC Road Nirman	1,165,792.00
	Total PAC	1165792.0

**GST: 209842.56**  
**Gross: 1375634.56**